राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 19 मई, 1983

क्रमांक 490-ज(I)-83/16274.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री बुध सिंह, पुत्र श्री गुरदित्त सिंह, निवासी बसन्तपुरा, तहसील व जिला अम्बाला, को खरीफ, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 23 मई, 1983

क्रमांक 555-ज(II)-83/16604.--श्री मांगे राम, पुत्र श्री बीकला, गांव कबूलपुरा, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 14 जनवरी, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मांगे राम को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1301-र-(III)-69/8318, दिनांक 18 अप्रैल, 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती घोघड़ी के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 26 मई, 1983

क्रमांक 619-ज(II)-83/17007.—श्री दरयाव सिंह, पुत्र श्री विशना राम, गांव दुधवा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 22 मई, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दरयाव सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1829-ज-(I)-76/30370, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(II)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मेसरी देवी के नाम खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 27 मई, 1983

क्रमांक 607-ज(I)-83/17207.--श्री मातादीन, पुत्र श्री कांशी राम, गांव जौरासी, तहसील नूह, जिला गुड़गांवा, की दिनांक 19 फरवरी, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मातादीन को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1294-ज-II-74/19813, दिनांक 15 जून, 1974, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती अनारो देवी के नाम खरीफ, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LATE NOTIFICATIONS